न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 135 / 2021 निर्णय दिनांक :–15.07.2022

दानी प्रार्थना पत्र :

1. गणेश पुत्र लाल सिंह उम्र 48 जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. दुर्गाकंवर पत्नी स्व0 रायसिंह उम्र 55 जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. बहादूरसिंह पुत्र स्व0 रायसिंह उम्र 38 जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. सुनिता कंवर पुत्री स्व0 रायसिंह उम्र 31 जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. रेखा कंवर पुत्री स्व0 रायसिंह उम्र 28 जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. खाना पुत्र भूरा जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. नन्दा पुत्र भूरा जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. जगदीश पुत्र भंवरसिंह जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. परमेश्वर पुत्र खाना जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. पुष्पेन्द्र पुत्र नवल जाति दरोगा ग्रामं चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. राजी उर्फ राज बाई पुत्री लाला जाति दरोगा ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री राजेश कुमार नागर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री सुनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6
तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 ता 5 प्रार्थी के पति पिता एक ही पिता की संतान है जिसके खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 136 खसरा नम्बर 950 रकबा 0.64 है0 बारानी–2, खसरा नम्बर 951 रकबा 1.9100 है0

बारानी–2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5500 है0, खाता संख्या 137 खसरा नम्बर 1236 राकबा 0.1600 है0 बारानी–2 खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.1800 है0 बारानी–2 खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.1700 है0 बारानी–2 खसरा नम्बर 334 रकबा 0.5600 है0 चाही 2–0.28, जाव 2–0.28, खसरा नम्बर 335 रकबा 0.3100 है0 चाही 2–0.16, जाव 2–0.15, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.4000 है0 चाही 2–0.20 कुल किता–6 कुल रकबा 1.7800 है0 व खाता संख्या 411 खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.4600 है0 बारानी–2 कुल किता–1 कुल रकबा 0.4600 है0 खाता संख्या 412 खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.4700 है0 बारानी–2 खसरा नम्बर 337 रकबा 0.0400 गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.7100 चाही–2, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.3800 चाही–2, खसरा नम्बर 999 रकबा 1.1000 बारानी–2 कुल किता–5 कुल रकबा 2.7000 है0, खाता संख्या 189 खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0400 गै0मु0 चाह कुल किता–1 कुल रकबा 0.0400 है0 कृषि भूमि वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण काश्तकार मजदूर पेशा व्यक्ति है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार खान–दान के व्यक्ति है। जिनके पिता के नाम ग्राम चांदसिंहपुरा में कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणों के पिता, दादा के फोत होने पर प्रार्थीगण 1 व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता–पति के नाम फोती नामान्तकरण खोला गया था। जब से ही लगातार प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता उक्त आराजीयात पर बिना किसी रूकावट या बाधा के काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 ता 5 के दादा व ससुर के पिता की मृत्यु हो जाने पर फोती नामान्तकरण प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता–पति के नाम खोले जाने के समय अप्रार्थी संख्या 7 के अधिकारियों द्वारा खाता संख्या 136, 137, 189 में तो प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता–पति की जाति सही अंकित की है, परन्तु खाता संख्या 411, 412 में प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी 2 ता 5 के पिता–पति की जाति सहवन से दरोगा के स्थान पर राजपूत अंकित कर दिया है, जबकि प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 ता 5 कि पिता–पति की वास्तविक जाति दरोगा है। राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों, पटवारियों द्वारा प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता–पति के नाम के आगे सहवन से जाति दरोगा के स्थान पर राजपूत अंकित कर दिया है जो गलत है। प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पिता की जाति के नाम के आगे के खाता संख्या 411, 412 में नाम के आगे जाति राजपूत के स्थान पर जाति दरोगा किया जाना न्यायोचित है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

[signature]

तहसीलदार दूनी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति दीं।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री सुनिल शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–प्रार्थना पत्र के चरण के पेरा नं. 1 व 2 में वर्णित तथ्य सही है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 3 में फोती नामान्तकरण में दरोगा होना स्वीकार है, जिन्हे राजपूत किया हो तो जानकारी अप्रार्थी संख्या 7 जिम्मेदार है। बाकी तथ्या स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 4 में खाता संख्या 411, 412 में प्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज के नाम के आगे दरोगा किया जाता है, तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 5 में वर्णित तथ्य सही है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 6 व 7 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है। कि अप्रार्थीगण व जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र पर सहमति दी।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 136, 137 व 189 में प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता/पति की जाति दरोगा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जबकि जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 411, 412 में प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता/पति की जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसको दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त के विवेचन से राजपूत व दरोगा जातियों में सामाजिक तौर पर समानता दर्शित होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 411 व 412 में जाति राजपूत दर्ज कर दिया। अतः तहसीलदार दूनी को जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 411, 412 में प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता/पति की जाति राजपूत के स्थान पर जाति दरोगा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली